

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेरविस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: विज्ञापन सं.04/भर्ती/2015-16

दिनांक : 16.10.2015

आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer)के कुल 257 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई। कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है:- (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है।)

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				विशेष पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
सामान्य पद 256 पद	85	25	9	2	28	8	3	1	21	6	2	1	38	10	4	1	9	2	1	0
सहरिया क्षेत्र 1 पद	1 पद																			

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं –
(i) B.Sc. (Agriculture) or B.Sc. (Horticulture) Honours of a University established by Law in India.
(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे-बेण्ड रनिंग पे-बेण्ड-2(9300-34800) ग्रेड पे रू. 4200/-
 आयु सीमा दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10
3.	सामान्य वर्ग की महिला	5
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन सामान्य	10
	पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
नोट :- राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है-“Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit.”		

अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान		
1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सबर्टेटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।	
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।	
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।	
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबर्टेटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।	
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।	
6	रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स एवं शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझे जावेंगे।	
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।	
8	भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।	
9	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।	
10	कीनिया, टंगानिका, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।	

नोट-
 (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
 (2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।
 (3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए-II/2008 दिनांक-23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी।”

सहायक कृषि अधिकारी के पदों को आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2012 को की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2016 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण	
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। स्पष्टीकरण:- उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा अजमेर में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 22-10-2015 से दिनांक 23-11-2015 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 24-11-2015 से दिनांक 23-12-2015 रात्रि 12-00 बजे तक।

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना :- यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध

में आयोग की वेब-साईट पर उपलब्ध **Instructions for Applicants** में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 01.07.15 को जारी परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाईट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या <http://rpsconline.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-5151212 एवं 5151200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव

क्रमांक : विज्ञापन सं.04/भर्ती/2015-16/175 दिनांक : 16.10.2015

प्रतिलिपि:-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन संख्या -04/भर्ती/2015-16 राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।

सहायक सचिव